लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
041/2022 (GCMS 2022/216)	15.07.2022	02.08.2022

अनवान

मुकेश धाकड़ पिता बंशीलाल धाकड़ निवासी मु. पो. सरसी, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.05.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./041/2022(सू.अ.)(02.08.2022) दिनांक15.07.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 02.08.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 02.08.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 02.08.2022 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, अतः सूचना दिलवाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/801 दिनांक 02.08.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. यह कि प्रार्थी श्री मुकेश धाकड़ पिता श्री बंशीलाल धाकड़, निवासी सरसी, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 05.05.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 06.05.2022 (शुक्रवार) को प्राप्त होना सही हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत् इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/230 दिनांक 12.05.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को नियत अवधि में ही अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया हैं। (पत्र की प्रति संलग्न हैं।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरान्त वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/801 दिनांक 02.08.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.05.2022 (प्राप्ति दिनांक 06.05.2022) से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत् अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/230 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को आवेदन प्राप्ति की दिनांक 06.05.2022 से 6 दिवस पश्चात् दिनांक 12.05.2022 को स्थानान्तरित किया गया।

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि **"यदि कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है कि (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ, वह लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समूचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करेगा एवं अन्तरण की सूचना तुरंत आवेदक को भी देगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन को अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"** हस्तगत प्रकरण में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्थानान्तरित किया गया हैं जो उचित नहीं हैं।

इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने के कारण अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा है तथा अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने के पश्चात् भी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो सर्वथा अनुचित हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अविलम्ब 10 दिवस में नियमानुसार तैयार कर सीधे ही अपीलार्थी को उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें। एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित समयावधि में निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **02.08.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
02.08.2022